रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 1986/वैशाख 18, 1908
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 1986/VAISAKHA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1986

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 246 (अ)/सं. ई (सी) औ, 1977/एएम (322).— आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1986 कहा जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-I में, —

(1) भाग 'क' में क्रम सं. 16(12) के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"16(13) चावल की भूसी का तेल।";

(2) भाग 'ख' में—

(क) क्रम सं. 41 (7) के बाद-निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:

"41(8) विलायक निस्सारण जो अन्यत्र विशिष्टिकृत न हो।";

(ख) क्रम सं. 54 के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :-

"54क- आम की गुठली का तेल, कोकम तेल, महुवे का तेल, धूप तेल और नीम की गुठली का तेल।";

(3) खुला सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं. 25-च के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"25छ	बिलायक निस्सारण	ख. 41(8)	निर्यात की अनुमति साल्वेन्ट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई के साथ ठेकों के पंजीकरण के मुद्दे दी जाएगी।
25ज	आम की गुठली का तेल, कोकम का तेल, महुवे का तेल, धूप तेल और नीम की गुठली का तेल	54(क)	निर्यात की अनुमति साल्वेंट एक्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई के साथ ठेकों के पंजीकरण के मद्दे दी जाएगी।

[मि. सं. 38 (13)/86-ई -II]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 8th May, 1986

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 246 (E) /No. E(C) O.1977/AM(322).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventh Amendment Order, 1986.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule I,—

(i) in Part 'A' after serial number 16(xii), the following serial number and entry shall be added, namely :—

"16(xiii) Rice bran oil.";

(ii) in Part 'B',—

(a) after serial number 41(vii), the following serial number and entry shall added, namely :—

"41 (viii) Solvent Extractions not specified elsewhere.";

(b) after serial number 54, the following serial number and entry shall be added:—

"54A —Mango Kernel Oil, Kolum Oil, Mahua Oil, Dhupa Oil, and Neemseed Oil";

(iii) in OGL No.3, after serial number 25F, the following serial number and entry shall be added, namely:—

1	2	3	4
"25G	Solvent Extractions not specified elsewhere	B. 41(viii)	Export allowed against registration of contracts with the Solvent Extractors Association of India, Bombay.
25H	Mango Kernel Oil, Kokum Oil, Mahua Oil, Dhupa Oil and Neemseed Oil	B. 54A	Export allowed against registration of contracts with the Solvent Extractors Association of India, Bombay."

[File No. 38(13)/86-EII]

R.L. MISRA
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986